<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम० जलेसर, एटा</u>

उपस्थित: श्री मोहित कुमार (JO Code- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा

वाद संख्या/एफ०आर० संख्या– 16/2026

प्रमोद कुमार **–बनाम–** बृजेश कुमार

अपराध संख्या– 202/2025
धारा– 406, 506 भा०दं०सं०
थाना– अवागढ़, जिला एटा

<u>दिनांक 24.07.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी मुकदमा उपस्थित नहीं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले, मु०अ०सं० 202/2025 में वादी मुकदमा को अन्तिम रिपोर्ट पर आपत्ति (प्रोटेस्ट पिटीशन) प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस के साथ ग्राम प्रधान की रिपोर्ट कागज सं० 8ब/2 इश आशय की प्रस्तुत की गयी कि वादी प्रमोद कुमार पुत्र अजब सिंह की मृत्यु दिनांक 02.01.2026 को हो चुकी है। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा के वारिसान को वाद पर बल देने हेतु एक अवसर प्रदान किया गया, किन्तु वादी के वारिसान द्वारा भी कोई बल प्रदान नहीं किया गया। वादी मुकदमा के वारिसान को बल दने हेतु दिनांक 09.07.2026 को अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। उक्त अंतिम आख्या पर पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। वादी मुकदमा को उक्त अंतिम आख्या की पूर्ण जानकारी है। वादी मुकदमा न्यायालय में आज भी अनुपस्थित है तथा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है।

प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या संख्या 202/2025, इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान से तथा वादी द्वार लिखित में प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र दिया गया कि वह बृजेश कुमार के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करना नहीं चाहता है। अतः साक्ष्य के अभाव में मुकदमा उपरोक्त को जरिये अन्तिम रिपोर्ट सं० 59/2025 दिनांकित 29.10.2025 को समाप्त किया जाता है।

ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा की गयी विवेचना सही एवं निष्पक्ष प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>–आदेश–</u>

विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 59/2025 दिनांकित 29.10.2025 स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जु०डि०) /
जे०एम०, जलेसर, एटा।
(JO Code- UP 4823)